



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे शातिर अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के संग्रहण, बिक्री व निर्माण करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 13.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर करिहया रोड ग्राम लामा से अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बाबू यादव पुत्र कल्लू उर्फ राकेश यादव निवासी करहिया थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 08/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव
2. कां0 प्रवेश पाल
3. कां0 दीपक यादव
4. कां0 दीपक पटेल

